

प्रश्न सं. [ क. 1872 ]



**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण**  
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)  
**NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA**  
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. (पूर्व) \ REGIONAL OFFICE M.P. (East)  
म.नं.-109, आदर्श नगर, नर्मदा रोड, जबलपुर (म.प्र.) 482 008  
H. No.- 109, Aadarsh Nagar, Narmada Road, Jabalpur (M.P.) 482 008

दूरभाष / Phone : 0761 - 3585028, ईमेल / E-mail : rojbalpur@nhai.org, rojbalpuroffice@gmail.com



**भारतमाला**  
एकलिंग के पथ पर अग्रसर  
**BHARATMALA**  
ROAD TO PROSPERITY

भा.रा.रा.प्र./बो.का.-म.प्र./जबलपुर/विधान सभा/2024/2836

दिनांक 05/02/2024

प्रति,

मुख्य अभियंता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग,  
निर्माण भवन, प्लॉट नं. 27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल  
दूरभाष नं. 0755-2551570,  
ई-मेल cepwdnhzonempbhopal@gmail.com

विषय: विधान सभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 1872 द्वारा श्री ओमकार सिंह मरकाम, सड़कों पर पशु दुर्घटनाओं की जानकारी के संबंध में।

महोदय,

अतारंकित प्रश्न का इस कार्यालय के अंतर्गत बिन्दुवार प्रतिउत्तर निम्नानुसार है:-

क्रं.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
(क)	जबलपुर से भोपाल राष्ट्रीय राज्य मार्ग में क्या प्रतिदिन सड़कों में कई पशुओं की मौत सड़क दुर्घटना की वजह से हो जाती है अगर हाँ तो बतावें सड़क दुर्घटना से पशुओं की मौत न हो इसके लिए विभाग ने कब-कब, क्या-क्या प्रयास किया ? पत्रों की छायाप्रति सहित जानकारी दें और अगर नहीं तो बतावें कि जबलपुर से भोपाल राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर प्रतिदिन कम से कम दस, पन्द्रह मवेशियों की सड़क में शव दिखते हैं, उनके मृत्यु के क्या कारण हैं ?	<p>भोपाल से जबलपुर मार्ग में हिरण नदी से सिंदूर नदी तक का भाग भाराराम्रा पक्रिई जबलपुर कार्यालय के अंतर्गत आता है। हिरण नदी से सिंदूर नदी तक के भाग में पशु दुर्घटना रोकने हेतु निम्न प्रयास किये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मार्ग में पेट्रोलिंग टीम के द्वारा लगातार मार्ग की मॉनीटरिंग की जा रही है, जहाँ पर भी मार्ग में पशुओं को देखा जाता है उन्हें मार्ग से हटाया जाता है।</li> <li>2. मार्ग में आने वाले ग्राम पंचायतों के सचिव के माध्यम से ग्रामवासियों को समझाईस दी गई, कि मार्ग में पशुओं को न छोड़ा जाये</li> <li>3. पशुओं की सींग में रेखियम लगाया गया है, जिससे दूर से ही मार्ग में पशु होने की जानकारी मिल सके।</li> <li>4. मार्ग से पशुओं को हटाने हेतु माननीय कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर को भाराराम्रा पक्रिई जबलपुर कार्यालय द्वारा पत्र क्र. 21885 दिनांक 31.07.2023 लेख किया गया है, जिसमें निवेदन किया गया है कि, राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास के क्षेत्रों में पशुओं को आश्रय प्रदान करने हेतु सर्व संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन को सुरक्षित बनाते हुए, उक्त मार्गों पर हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके। (पत्र की प्रति संलग्न)</li> </ol>

आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

ओमकार सिंह मरकाम  
निर्माण विभाग  
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

(रामप्रियास पटेल)  
प्रबंधक (तक.)



## भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

**NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA**

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

प.कि.ई. - 882/A, डेनिंग रोड, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)-482001

PIU OFFICE-582/A, Denning Road, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.)-482001

AN ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 & OHSMS 45001 : 2018 Certified Office

दूरभाष: 0761-4047042 ई-मेल: jabalpur@nhai.org, nhaijabalpur@gmail.com



भाराराप्रा/पक्रिई/जबलपुर/विधि/2023/21885

31.07.2023

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय  
जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.)

विषय : नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 45 पर जानवरों के जमावड़े से हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा, विभिन्न परियोजनाओं के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया गया है। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा यात्रीयों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु सभी मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए, मार्ग का निर्माण किया गया है।


2. उक्त संबंध में लेख है कि, नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के आस पास के क्षेत्रों/ग्रामों के पालतू जानवरों हेतु पर्याप्त व्यवस्था ना होने के कारण, जानवरों का रा.रा. पर कई जगहों पर जमावड़ा देखा जाता है, जिससे उक्त स्थल पर दुर्घटनाएँ होने की संभावना बनी रहती है। खास तौर पर वर्षाकाल के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन जानवरों की मौजूदगी बढ़ती चिंता का विषय बन गई है, जिससे संभावित दुर्घटनाएँ होने की संभावना बनी रहती है।

3. इसी क्रम में लेख है कि, इस कार्यालय के अंतर्गत चल रही अधवा पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं पर मोटर चालकों एवं भारी वाहनों का आवागमन निरन्तर होता रहता है और जानवरों, खासकर भवेशियों का सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूमने एवं बैठने से वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, क्योंकि इन जानवरों से अप्रत्याशित मुठभेड़ से धातक दुर्घटनाएँ और घोटें हो सकती हैं। इसके अलावा तेज गति वाले वातायात के कारण जानवरों को भी घोट लगने या मारे जाने का खतरा बना रहता है। उक्त स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत सविदाकर एवं टोल एजेंन्सी द्वारा, एम्बुलेंस एवं पेट्रोलिंग वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सकें।

4. भाराराप्रा द्वारा उक्त दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सभी प्रयास किये जा रहे हैं। पेट्रोलिंग वाहनों द्वारा समय समयों पर राजमार्गों पर शरत के दौरान भवेशियों को बूटें हट्टे हुए माए जाने पर, यथाशीघ्र हटाया जाता है, परन्तु पेट्रोलिंग टिम के जाते ही पुनः राष्ट्रीय राजमार्ग पर भवेशियों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है।

5. उक्त संबंध मे आपसे निवेदन है कि, नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के आस पास के क्षेत्रों में पशुओं को आश्रय प्रदान करने हेतु सर्व संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन को सुरक्षित बनाते हुए, उक्त मार्गों पर हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सकें।

सधन्यवाद

  
अमृत लाल साहू  
परियोजना निर्देशक

प्रतिलिपि:-

- श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी, भाराराप्रा. (पूर्व), जबलपुर-की ओर सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- मेसर्स लयन इंजीनियरिंग कंसल्टेन्ट (डिरेन नदी से सिंदूर नदी) - की ओर सूचनाार्थ प्रेषित।

  
परियोजना निर्देशक  
सड़क निर्माण विभाग  
नरसिंहपुर महोदय, म.प्र.

C:/Umsh/All Letters/Letters w.a.F.15.05.2023/Email Letters

म.प्र. कार्यालय : प्लॉट नं. जी 5 एवं 6, सेक्टर 10, इटावा, नई दिल्ली - 110 075 : दूरभाष : 81-11-2507 4100/200 वेबसाइट : <http://www.nhai.org>

राज्य कार्यालय : प्लॉट नं. जी 5 एवं 6, सेक्टर 10, इटावा, नई दिल्ली - 110 075 : दूरभाष : 81-11-2507 4100/200 वेबसाइट : <http://www.nhai.org>



## भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

पत्रिका - 582/A, डेनिंग रोड, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)-482001

PIU OFFICE-582/A, Denning Road, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.)-482001

AN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSMS 45001:2015 Certified Office

दूरभाष 0761-4047042 ई-मेल:jabalpur@nhai.org, jabalpur@nhai.com



भाराराज्जा / पत्रिका / जबलपुर / विधानसभा / 2024 / 22807

दिनांक 05.02.2024

प्रति,

श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी  
क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. (पूर्व) जबलपुर,  
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,  
109, आदर्श नगर, नर्मदा रोड,  
जबलपुर (म.प्र.) 482008

विषय : सड़कों पर पशु दुर्घटनाओं की जानकारी। (विधानसभा अंतरांकित प्रश्न क्रमांक 1467 द्वारा श्रीश्रीमकार सिंह मरकाम)।

संदर्भ : भाराराज्जा क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर का ई-मेल दिनांक 05.02.2024।

श्रीमान्,

उपरोक्त विषय अंतर्गत विधानसभा अंतरांकित प्रश्न क्रमांक 1467 द्वारा, श्रीश्रीमकार सिंह मरकाम जी, द्वारा पूछे गये प्रश्न के संबंध में, जो जानकारी चाही गई है, यह निम्नानुसार है :-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	जबलपुर से भोपाल राष्ट्रीय राज्य मार्ग में क्या प्रतिदिन सड़कों में कई पशुओं की मौत सड़क दुर्घटना की वजह से हो जाती है अगर हाँ तो बतावें सड़क दुर्घटना से पशुओं की मौत न हो इसके लिए विभाग ने कब-कब, क्या-क्या प्रयास किया ? पशु की क्षयाप्रति सहित जानकारी दें और अगर नहीं तो बतावें कि जबलपुर से भोपाल राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर प्रतिदिन कम से कम दस, पन्द्रह मवेशियों की सड़क में शव दिखते हैं, उनके मृत्यु के क्या कारण हैं ?	भोपाल से जबलपुर मार्ग में हिरण नदी से सिंदूर नदी तक का भाग भाराराज्जा पत्रिका जबलपुर कार्यालय के अंतर्गत आता है। हिरण नदी से सिंदूर नदी तक के भाग में पशु दुर्घटना रोकने हेतु निम्न प्रयास किये गये :- 1. मार्ग में पेट्रोलिंग टीम के द्वारा लगातार मार्ग की मॉनीटरिंग की जा रही है, जहाँ पर भी मार्ग में पशुओं को देखा जाता है उन्हें मार्ग से हटाया जाता है। 2. मार्ग में आने वाले ग्राम पंचायतों के राखिव के माध्यम से ग्रामवासियों की समझाईस दी गई, कि मार्ग में पशुओं को न छोड़ा जाये। 3. पशुओं की राँग में रेडिमम लगाया गया है, जिससे दूर से ही मार्ग में पशु होने की जानकारी मिल सके। 4. मार्ग से पशुओं को हटाने हेतु नाननीय कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर को हस्त कार्यालय का पत्र क्र. 21885 दिनांक 31.07.2023 लेख किया गया है, जिसमें निवेदन किया गया है कि, राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास के क्षेत्रों में पशुओं को आश्रय प्रदान करने हेतु सर्व संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन को सुरक्षित बनाते हुए, उक्त मार्ग पर हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके। (पत्र की प्रति संलग्न)

उक्त जानकारी आपकी और सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय निरीक्षण अधिकारी  
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

(अमृत लाल साहू)  
परियोजना निदेशक